निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 10/अपील/21 तारीख दायराः 12.01.2021

मानसिंह पुत्र चन्दरसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डोड़ी तहसील गंगधार (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी निर्णय जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ प्रकरण संख्या 15/2020 दिनांक 09.12.2020 में पारित किया गया।

उपस्थितः— श्री राम माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

—: निर्णय :— दिनांकः 03.09.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के प्राधिकार पत्र निरस्तगी के आदेश कमांकः 15/2020/दिनांक 09.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित किया है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डोड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ का उचित मूल्य दुकानदार है, अधीनस्थ न्यायायलय जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त राज करने का आदेश मनमाना,परवर्स तथा केप्रिशियस होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किये बिना और जवाब में वर्णित तथ्यों पर गौर किये बगैर निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नही बरती है और ना ही किसी तरह से अवैध ट्रांजिक्शन किये है। राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुंए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 की शक्तियों का गलत तौर से प्रयोग कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत डोड़ी तहसील गंगधार का दुकानदार है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 20.01.2020 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया जाकर दिनांक 09.12.2020 को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है । राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में ऐसी जांच की कार्यवाही तीन महिने में पूरी होनी चाहिये उस समयावधि के पश्चात की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है। अतःजिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 09.12.2020 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

पेरोकार रसद ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार डोड़ा को खाद्य निगम द्वारा जनवरी माह की आपूर्ति समय पर किये जाने के उपरान्त भी उपभोक्ता पखवाड़ा की समाप्ति तक उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को राशन का वितरण नही किये जाने पर इसकी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को की जाने पर दिनांक 20.01.2020 को प्राधिकार पत्र

निलम्बित किया गया व दिनांक 24.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 27.02.2020 को प्रस्तुत किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अटेच उचित मूल्य दुकानदार को स्टॉक का हस्तान्तरण नही किया जाने पर इस आशय का नोटिस दिनांक 18.06.2020 को दिया गया व जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 14.10.2020, 03.11.2020 व 24.11.2020 को नोटिस जारी किया गया तत्पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही करने व स्टॉक का हस्तान्तरण नही करने पर दिनांक 09.12.2020 को डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। स्टॉक का हस्तान्तरण नही करने पर प्रवर्तन निरीक्षक को उक्त डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2020 को लिखा गया । तत्पश्चात उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 08.01.2021 को अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण अटेच डीलर को किया गया।

पेरोकार सरकार ने बताया कि निलम्बित डीलर को निलम्बन के पश्चात नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के पर्याप्त मौके देने, प्राधिकार पत्र निलम्बित होने के उपरान्त सामग्री लोटाने को गबन की श्रेणी में व अनियमितता मानते हुए प्राधिकार पत्र को दिनांक 09.12.2020 को निरस्त कर दिया गया है बिल्कुल सही है, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि खाद्य निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानदार डोड़ा को जनवरी माह की आपूर्ति समय पर किये जाने के उपरान्त भी उपभोक्ता पखवाड़ा की समाप्ति तक उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को राशन का वितरण नही किये जाने पर इसकी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को की जाने पर दिनांक 20.01.2020 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया व दिनांक 24.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 27.02.2020 को प्रस्तुत किया गया किन्तु डीलर द्वारा अटेच उचित मूल्य दुकानदार को स्टॉक का हस्तान्तरण नही किया जाने पर इस आशय का नोटिस दिनांक 18.06.2020 को दिया गया व जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 14.10.2020, 03.11.2020 व 24.11.2020 को लगातार नोटिस दिया गया किन्तु डीलर द्वारा स्टॉक का हस्तान्तरण अटैच डीलर को नही किया गया जिस पर दिनांक 09.12.2020 को डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। व निलम्बन पश्चात भी लगभग एक माह पश्चात डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक को जिला रसद अधिकारी द्वारा बार–बार निर्देशित करने के उपरान्त स्टॉक का हस्तान्तरण उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अटेच उचित मूल्य दुकानदार को किया जाना साबित है। इस प्रकार निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया सम्पूर्ण स्टॉक को सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को लगभग 11 माह पश्चात हस्तान्तरित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.01.2020 को निलम्बित कर अपीलान्ट को दिये गये नोटिसों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व राशन का हस्तान्तरण अटेच उचित मूल्य दुकानदार को करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 11 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण किया जाना साबित है । खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा आदेशों के क्रम में निलम्बन के पश्चात 90 दिन के अन्दर जांच पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जानुबूझ कर जवाब अधीनस्थ जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने, 11 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण

पर प्रकरण संख्या– 15/2020 में निर्णय दिनांक 09.12.2020 पारित किया गया है जो नियमानुसार विधि संगत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट अनियमितता का दोषी पाया जाता है। 03 माह की अवधि में निस्तारण में देरी जिला रसद अधिकारी के स्तर से नही की गई बल्कि अपीलान्ट के खुद के जवाब नही देने व सामग्री नही लोटाने के कारण हुई है। जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2020 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
झालावाड़